रजिस्ट्री सं० डी--(डीएन)--73

REGISTERED NO. D-(DN) 73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 24, 1986 (ज्येष्ठ 3, 1908)
No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 24, 1986 (JYAISTHA 3, 1908)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

दी इन्स्टीच्यूट आफ चार्टर्ड

एकाउन्टेंट्स आफ इण्डिया

नई दिल्ली-110002, दिनांक 12 मई 1986

सं० 28-आर० सी०(4)/14/86--चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन, 1964 के रेगुलेशन 136(1) के अनुसरण में दि कौंसिल आफ दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ इण्डिया को 21 दिसम्बर, 1985 से मेरठ में मध्य भारत क्षेत्रीय परिषद की शाखा स्थापित करने की सूचना देते हुए प्रसन्नता है।

यह शाखा मध्य भारत क्षेत्रीय परिषद् की मेरठ शाखा मानी जायेगी।

रेगुलेशन 136 (3) के अन्तर्गत जैसा कि निर्धारित है यह शाखा क्षेत्रीय परिषद् के माध्यम से परिषद् के नियंत्रण, पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में कार्य करेगी और सभी उन निर्देशों का पालन करेगी जो कि परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी किये जायेंगे।

आर० एल० चौपड़ा
सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

कर्नाटक दिनांक 1986

सं० 53.बी० 34. 13-8-86 हितलाभ-II--दिनांक 15-2-86 के भारत के राजपत्र के भाग III, अनुभाग 4 में; प्रकाशित अधिसूचना संख्या 53. बी० 34. 13.7.85. हितलाभ-II के क्रम में क० रा० बी० (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 10अ(1)(घ) और 10(अ)(1)(ङ) के अन्तर्गत निम्नलिखित अतिरिक्त सदस्यों के नाम जोड़ दिये गये हैं:--

विनियम 10अ(1)(घ) के अन्तर्गत

1. श्री ए० तंगवेलु,
लेखा अधिकारी,
के० ई० बी०,
के० जी० एफ० सदस्य

विनियम 10अ(1)(ङ) के अन्तर्गत

1. श्री ए० श्रीनिवासु,
बी-560-05942,
कोषाध्यक्ष,
बी० ई० एम० ई० ए०,
के० जी० एफ० सदस्य

आदेश से,

सं० 53. बी० 34. 13-8-86-हितलाभ-II--दिनांक 11-2-1984 के भारत के राजपत्र के भाग III अनुभाग 4 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 53.बी०34. 13.8.83 समन्वय का संशोधन करते हुए क० रा० बी (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 10अ(1)(घ) के अन्तर्गत क्रम संख्या 4(1) के सामने श्री राघव वत्तसर, प्रबन्धक, चिगटेरी मिल्स, दावणगेरे के स्थान पर निम्नलिखित नाम जोड़ दिया गया है :--

विनियम 10अ(1)(घ) के अन्तर्गत.

श्री एम० एम० रवीश
श्रम कल्याण अधिकारी
येल्लम्मा काटन वूलन सिल्क मिल्स,
दावणगेरे। सदस्य

आदेश से
बी० सी० भारद्वाज,
प्रभारी क्षेत्रीय निदेशक

दी इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स
एकाउन्टेन्टस आफ इण्डिया
कलकत्ता, दिनांक 19 मार्च, 1986

सं० 18-सी० डब्ल्यू० आर० (124)/86--दी कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1959 के विनियम 18 का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि दी इन्स्टीच्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया के परिषद् ने कहे हुए रेग्युलेशन्स के विनियम 17 द्वारा किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री असीत कुमार साहा, बी० एस-सी० (आनर्स) ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, 16, ईस्ट रोड, जादवपुर, कलकत्ता-700032, (सदस्यता संख्या 4049) के नाम को 4 मार्च, 1986 से सदस्य पंजिका में पुनः स्थापित किया।

दिनांक 20 मार्च 1986

सं० 11-सी० डब्ल्यू० आर० (99)/86--दी कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1959 के विनियम 11 के उप-विनियम (3) का अनुसरण कर यह सूचित किया जाता है कि श्री सरीत कुमार राय, एम० काम० ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, 95/14, बोस कुमार रोड, बैंक प्लाट, कलकत्ता-700042, (सदस्यता संख्या 4351) के अभ्यास करने का प्रमाण-पत्र 17 मार्च, 1986 से रद्द किया जाता है।

कलकत्ता, दिनांक अप्रैल, 1986

सं० 18-सी० डब्ल्यू० आर० (125)/86-दी कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन्स 1959 के विनियम 18 का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि दी इन्स्टीच्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया के परिषद् ने कहे हुए रेगुलेशन्स के विनियम 17 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री एम० सी० शर्मा, एम० काम, एल०-एल० बी०, ए० आई० सी०, डब्ल्यू० ए०, 1 धारा-1, सेक्टर II, हिरन मग्री, उदयपुर-313001, राजस्थान, (सदस्यता संख्या 4227,) के नाम को 1 अप्रैल, 1986 से सदस्यता पंजिका में पुनः स्थापित किया।

सं० 16-सी० डब्ल्यू० आर० (642)/86--दी कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1959 के विनियम 16 का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि दी इन्स्टीच्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया के परिषद ने कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1959 की धारा 20 की उप-धारा (1) द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री ऐलूर शिवरामकृष्ण कृष्णन, बी० काम०, ए० सी० ए०, ए० आई० सी०, डब्ल्यू० ए०, चीफ वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स महीन्द्र उजीन स्टील कम्पनी लिमिटेड, खोपोली-410203, (सदस्यता संख्या 691) के नाम को उनकी मृत्यु के कारण 23 जनवरी, 1986 से सदस्यता पंजिका से हटा दिया।

दिनांक 24 अप्रैल, 1986

सं० 18-सी० डब्ल्यू० आर० (126)/86--दी कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन्स 1959 के विनियम 18 का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि दी इन्स्टीच्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया के परिषद ने कहे हुए रेगुलेशन के विनियम 17 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री हरू नाथ राय, बी० ई० (मैके०), एम० बी० ए०, ए० सी० एम०, ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, ई-198, सैक्टर-II, धुरवा, राँची-834004 (सदस्यता संख्या 3219) के नाम को 8 अप्रैल, 1986 से सदस्य पंजिका में पुनः स्थापित किया।

दिनांक 25 अप्रैल 1986

सं०-16 सी० डब्ल्यू० आर० (643)/86--दी कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन्स 1959 के विनियम 16 का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि दी इन्स्टीच्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस आफ इण्डिया के परिषद ने कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1959 की धारा 20 की उप-धारा (1) द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री सुरेन्द्र प्रसाद, ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए० असिस्टेन्ट मैनेजर, (फाइनेन्स), एकाउन्टेन्ट्स डिपार्ट, टाटा इंजिनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लि०, जमशेदपुर-831010 (सदस्यता संख्या 290) के नाम को उनकी निजी प्रार्थना पर 1 अप्रैल, 1986 से सदस्यता पंजिका से हटा दिया।

डी० सी० भट्टाचार्या
सचिव

दिनांक 31 मार्च, 1986

सं० 16 सी० डब्ल्यू० आर० (640)—दी कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स रेग्युलेशन 1959 के विनियम 16 का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि दी कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया के परिषद ने कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1969 की धारा 20 की उपधारा (1) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री एम० वैंकटरमैया, बी० ए० (आनर्स), ए० आई० सी०, डब्ल्यू० ए० 2529, सेक्टर 6, सी० जी० एस० क्वार्टर्स एनटाप हुल, बम्बई-400037, सदायता संख्या एम०/ 1900 के नाम को उनके अनुरोध पर 31 मार्च, 1986 से सदस्य पंजिका से हटा दिया गया है।

सं० 16 सी० डब्ल्यू० आर० (641)/86—दी कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स रेग्युलेशन्स 1959 के विनियम 16 का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि दी इनस्ट्रीच्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स आफ इन्डिया के परिषद ने कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम 1959 की धारा 20 की उप धारा (1) धारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री मदन मोहन मुखर्जी, एम० ए०, ए० आई सी० डब्ल्यू० ए०, 11/1, धरम दास कुण्डु लेन, शिवपुर, हावड़ा-711102, (सदस्यता संख्या 62) के नाम को उनकी मृत्यु के कारण 15 मार्च, 1986 से सदस्य पंजिका से हटा दिया ।

डी० सी० भट्टाचार्य,
सचिव

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

दिनांक 1986

सं० रा० स० वि० नि०/ए एण्ड सी० 8/13/83-सी० पी० एफ०—राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कर्मचारी भविष्य निधि विनियम, 1964 के विनियम 29 के साथ पठित रा० स० वि० नि० अधिनियम, 1962 की धारा 23(1) धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कर्मचारी भविष्य निधि विनियम, 1964 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

1. विनियम 2 के विद्यमान उप-विनियम (ञ) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाये:—

"ञ" वेतन में मूल वेतन, वैयक्तिक वेतन, कार्यकारी भत्ता, मंहगाई भत्ता (मंहगाई वेतन सहित) अन्तरिम सहायता शामिल है तथा पुनर्नियुक्त व्यक्तियों के मामले में, जहाँ वेतन में से पेंशन की राशि को कम कर दिया जाता है, वेतन में पेंशन भी शामिल होगी; किन्तु इसमें मकान किराया भत्ता, स्थानान्तरण भत्ता, यात्रा भत्ता, विराम भत्ता या अन्य कोई भत्ता शामिल नहीं है।"

स्पष्टीकरण; उपरोक्त विनियम के प्रयोजन के लिये पेंशन की जितनी राशि वेतन में से वस्तुतः कम की गई हो केवल वही "वेतन" में शामिल की जानी चाहिये।

यह संशोधन 1-6-1983 से प्रभावी होगा।

रवि वीर गुप्ता,
प्रबन्ध निदेशक

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 3 मार्च, 1986

सं० सी-11031/1/86-रा० रा० क्षेत्र यो० बो०—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोद से, निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 3 मार्च, 1986

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—

(i) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड विनियम, 1986 है।

(ii) ये नियम तब से प्रवृत्त होंगे जब से बोर्ड का गठन किया गया है।

2. परिभाषायें :

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(i) "अधिनियम," से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 अभिप्रेत है;

(ii) "बोर्ड" से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अभिप्रेत है।

3. अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते:

बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और मकान किराया भत्ता से भिन्न सभी अन्य भत्ते वही होंगे जो केन्द्रीय सरकार ने अपने समतुल्य हैसियत से कर्मचारियों के लिये विहित किये हैं।

4. छुट्टी की मंजूरी :

छुट्टी की मंजूरी के विषय में बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को लागू केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 और केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन समय-समय पर जारी किये गये आदेशों से शासित होंगे।

5. मकान किराया भत्ता :

बोर्ड के दिल्ली में स्थित अधिकारी और कर्मचारी मकान किराया भत्ते के रूप में अपने वेतन का 20 प्रतिशत के हकदार होंगे मकान किराया भत्ता के लिये अन्य शर्तें वही होंगी। जो केन्द्रीय सरकार के सेवकों को लागू हैं।

6. पेंशन, उपदान, सेवा निवृत्त फायदे और साधारण भविष्य निधि :

बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी ऐसी दरों पर और ऐसी शर्तों के अधीन, जो केन्द्रीय सरकार के तत्स्थानी ग्रेडों के अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू हैं, पेंशन, उपदान, अन्य सेवा निवृत्त फायदों और साधारण भविष्य निधि के हकदार होंगे।

7. सेवा की अन्य शर्तें :

जब तक कि इन विनियमों में विनिर्दिष्ट तथा प्रतिकूल रूप से अन्यथा उपबन्धित नहीं किया जाता, बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें, जहां तक संभव हों, मूल और अनुपूरक नियम, साधारण वित्तीय नियम, केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थाई सेवा, नियम, 1965, केन्द्रीय सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी ग्रुप बीमा योजना, 1980 इत्यादि और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर उक्त नियमों के अधीन जारी किये गये ऐसे आदेशों और विनिश्चयों के अनुसार, जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को लागू हों, शासित होंगे।

8. आचरण नियम :

समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा आचारण नियम 1955 बोर्ड के कर्मचारीयों को लागू होंगें।

9. अनुशासनिक कार्रवाईयां :

समय-समय पर यथासंशोधित । वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियम बोर्ड के कर्मचारियों के सम्बंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे सरकार के कर्मचारियों के सम्बन्ध में लागू हैं। इन नियमों के अधीन राष्ट्रपति में विहित शक्तियों का प्रयोग अध्यक्ष द्वारा और विभागाध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग सदस्य से सचिव द्वारा किया जायेगा ।

10. प्रतिनियुक्त व्यक्ति :

बोर्ड के ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जो बोर्ड में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों से या केन्द्रीय या राज्य सरकार के स्थानीय, विकास या अन्य कानूनी प्राधिकारणों या उपक्रमों से प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं, उन निबंधनों और शर्तों से शासित होंगे जो उनके मूल प्राधिकारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति के आदेश में विनिर्दिष्ट किये जाते हैं। उन निबंधनों और शर्तों की बाबत, जो आदेश में विनिर्दिष्ट नहीं किये गये हैं, वे बोर्ड के कर्मचारियों को लागू, उपरोक्त विनियमों से शासित होंगे।

एम० शंकर,
सदस्य-सचिव

वर्ष 1984–85 के लिये दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

1. प्रस्तावना:—

ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तथा इसके धर्मादा जिसे लोक प्रिय नाम "दरगाह ख्वाजा साहब" अजमेर" से जाना जाता है का उचित प्रशासन हेतु वर्ष 1955 में संसद द्वारा "दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम" पारित किया गया था। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दरगाह के धर्मादा में सम्मिलित है :—

(अ) दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर।

(ब) दरगाह शरीफ की सीमा में सभी इमारतें तथा चल संपत्ति।

(स) दरगाह जागीर जिसमें दरगाह शरीफ से संबंधित भूमि, भवन, दुकानें तथा सभी अचल संपत्ति जहां भी स्थित हों, शामिल हैं।

(द) अन्य सभी सम्पत्ति तथा सारी आय किसी भी स्त्रोत से दरगाह को समर्पित हो अथवा पाक खैराती उद्देश्यों के लिये दरगाह प्रशासन के अधीन रखी गई हो जिसमें अजमेर के होकरम तथा किशनपुर गांवों की जागीरदारी भी सम्मिलित है।

(ई) दरगाह की ओर से नाजिम अथवा अन्य व्यक्ति जो इसके द्वारा प्राधिकृत हो द्वारा प्राप्त सभी नजरानों तथा भेंट की जाए।

दरगाह के स्थाई आय के साधन का प्रशासन, नियंत्रण, तथा व्यवस्था "दरगाह समिति, अजमेर" नामक समिति में निहित है। समिति में पांच से कम और नौ से ज्यादा सदस्य नहीं होते हैं जो सभी हनफी मुस्लिम तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे। समिति की राय से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त नाजिम के जरिये समिति अपने कार्य सम्पन्न करती है, दरगाह प्रशासन का मुख्य अधिवासी अधिकारी नाजिम होता है तथा यह समिति के सचिव की हैसियत से कार्य करता है।

इस अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन दरगाह के लेखों का अंकेक्षण प्रतिवर्ष ऐसे लोगों से, ऐसे ढंग से जैसा केन्द्रीय सरकार निर्देश दे, अपेक्षित है, इस अधिनियम की उप धारा (2) निर्धारित करती है कि समिति प्रत्येक वर्ष दरगाह के प्रशासन पर एक प्रतिवेदन तैयार करेगी जो लेखों तथा लेखों पर लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के साथ सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होगी। दरगाह प्रशासन केवल प्राप्ति और भुगतान का एक विवरण तैयार करता है, तुलन-पत्र तैयार नहीं किया जाता है। और इस तरह लेखा अवधि के अन्त में संपत्तियों तथा दायित्वों को लेखों से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

प्रारम्भ में दरगाह के लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सहमति आधार पर सौंपी गई थी। लेखे वर्ष 1978–79 से लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य शक्तियों एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 के प्रावधानों के अधीन लाया गया।

2. प्राप्ति एवं भुगतान लेखा वर्ष 1984–85

प्राप्ति एवं भुगतान का विश्लेषण :—

वर्ष के प्रारम्भ में (0.02 लाख रुपयों की प्रतिभूतियां सहित) प्रारम्भिक शेष 1.04 लाख रुपये था।

वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियां 23.06 लाख रुपये थी (जिसमें 5.51 लाख रुपये के दान एवं मुसाफ़िर खाना तथा शौचालयों) के निर्माण हेतु ऋण शामिल है) वर्ष के दौरान कुल 18.65 लाख रुपये व्यय करने के उपरान्त (जिसमें 6.30 लाख रुपये कार्यालय कक्षों एवं मुसाफ़िर खाना का निर्माण, आशागंज में कर्मचारी क्वाटर्स तथा साईट अभियन्ता का वेतन शामिल है) (वर्ष के अन्त में अंतिम शेष 5.86 लाख रुपये है उनमें से 0.43 लाख रुपये प्रतिभूतियों में विनियोजित हैं।

3. चल सम्पत्तियों के रजिस्टर में त्रुटियां

दरगाह ख्वाजा साहब उप नियम 1958 के उप नियम 21 के अनुसार दरगाह की अचल सम्पत्तियों की एक पुस्तक तथा चल सम्पत्तियों की सूची की एक पुस्तक बनाना अपेक्षित है। लेखा परीक्षा के दौरान पाई गई कमियां नीचे दी जा रही है।

चल सम्पत्तियां

गुम्बद शरीफ और मुख्य एवं सहायक तोशाखाना अन्तर्गत वस्तुएं :—

गुम्बद शरीफ में कई सोने चांदी तथा बहुमूल्य रत्न की कीमती वस्तुएं हैं, लेकिन अभी तक इन सब वस्तुओं की सूची नहीं बनाई गई थी (अक्तूबर 1985)।

मुख्य तोशाखाना में भी सोने तथा चांदी, की कीमती वस्तुएं हैं। तोशाखाना में (हफ्त चौकी बरीदारान) विभिन्न खादिमों के सात ताले हैं। तालों की चाबियां हफ्त चौकी बारीदारान के सरगनों के पास होती हैं जो एक साथ एक ही समय में उपलब्ध नहीं होते है, तोशाखाना को खोलने तथा सूची बनाने हेतु दरगाह प्रशासन द्वारा वर्ष 1929 में एक प्रयास किया गया था, लेकिन सफ़लता नहीं मिली थी। अप्रैल 1966 में यद्यपि प्रशासन ने तोशाखाना खोला और 206 वस्तुओं की सूची बनाई लेकिन खादिमों के कथित असहयोग के कारण यह कार्य पूरा नहीं किया जा सका। अन्य सहायक तोशाखाना में कीमती गिलाफ़ (मकबरों की चद्दरें) सोने और चांदी की वस्तुएं इत्यादि है। हालांकि मुख्य मकबरे पर गिलाफ़ (चद्दर) बदलने हेतु तोशाखाना प्रतिदिन खोला जाता है फ़िर भी सहायक तोशाखाना की वस्तुओं की अभी तक सूची नहीं तैयार की गई है (जनवरी 1986)।

गुम्बद शरीफ़ एवं मुख्य तथा सहायक तोशाखाना की वस्तुओं की सूची तैयार न करने का जिक्र लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में वर्ष 1979–80 से लगातार किया जा रहा है। दरगाह समिति की अगस्त 1982 और दिसम्बर 1982 में हुई सभाओं में गुम्बद शरीफ़ मुख्य तोशाखाना व सहायक तोशाखाना की सूची तैयार करने का मामला रखा गया था लेकिन अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका। अगस्त 1983 के दौरान सभा में यह निर्णय लिया गया था कि सभी सरगनाओं को गुम्बद शरीफ़, मुख्य तोशाखाना और सहायक तोशाखाना की सम्पत्तियों की सूची बनाने एवं मूल्यांकन में सहयोग करने हेतु लिखित में कहा जाये और यदि वे प्रत्युत्तर नहीं देते हैं, तो कानूनी कार्यवाही का प्रावधान किया जाये। परिणामस्वरूप एक के अलावा सभी 9 सितम्बर 1983 और 1 दिसम्बर 1984 को अजमेर में मिले और चांदी के कटहरे में की गई बदल के बारे में विचार विमर्श किया। तत्पश्चात सभा को किसी अन्य तारीख के लिए स्थगित कर दिया गया। नाजिम ने बताया (फरवरी 1986) कि दरगाह समिति की आगामी सभा में मामले पर विचार विमर्श किया जायेगा और दरगाह समिति के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

ह० अपठनीय
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
राजस्थान, जयपुर

स्थान : जयपुर
दिनांक 13 मार्च, 1986

लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र

मैंने 31 मार्च 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर के आय और व्यय लेखाओं की जांच कर ली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया है और संलग्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अभ्युक्तियों के अध्ययधीन अपनी लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम सूचना और मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों और संगठन की बहियों में किए गए उल्लेख के अनुसार ये लेखे उपयुक्त रूप से तैयार किए गए है और दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर के कार्यकलाप का सही और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

ह० अपठनीय
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
राजस्थान, जयपुर

स्थान : जयपुर
दिनांक 13 मार्च, 1986

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट 1984-85

प्रस्तावना

वर्ष के प्रारम्भ में दरगाह कमेटी के निम्नलिखित सदस्यगण थे:—

(1) श्रीमान स्माईल एम० बा० ला, प्रेसीडेंट
(2) "ख्वाजा हसन मेनी निजामी बाईस प्रेसीडेन्ट
(3) "अब्दुल रहमान खां नस्तर, मंत्री उत्तर प्रदेश
(4) "गुलसर अहमद संसद सदस्य

(5) ,, श्रीमान् गुलाम रसूल कार, संसद सदस्य
(6) ,, मौलाना एम०-जे०-ए० मतीन
(7) ,, डा० इम्तियाज अहमद, भूतपूर्व संसद सदस्य
(8) ,, मौलाना मोहम्मद मीया फास्की, भूतपूर्व संसद सदस्य।

2. श्रीमान स्माईल एम० बाल्ला तथा श्रीमान ख्वाजा हसन मेनी निजामी दरगाह कमेटी के वर्ष 1984–85 के लिये प्रेसीडेन्ट तथा वाईस प्रेसीडेन्ट क्रमशः निर्वाचित किये गये।

वित्तीय स्थिति :

3. इस वर्ष की दरगाह कमेटी की आर्थिक स्थिति निम्न-प्रकार है :—

बेलेंस जो रहा	1983–84	1984-85
करेन्ट (चालू)	2,67,766.00	1,01,688.00
फिक्सड डिपोजिट	--	--
सिक्यूरिटीज	2,100.00	2,100.00
	2,69,866.00	1,03,788.00
सालाना प्राप्ति		
रेवेन्यू (राजस्व)	13,74,753.00	17,55,460.00
केपीटल (पूंजी)	22,833.00	50,831.00
लोन (ऋण)	--	--
	13,97,586.00	23,06,291.00
योग बेलेंस सहित	16,67,452.00	24,10,079.00
सालाना खर्चा		
रेवेन्यू	11,49,716.00	11,95,807.00
केपीटल	4,13,948.00	6,28,688.00
	15,63,664.00	18,24,415.00
क्लोजिंग बेलेन्स	31–3–1984	31–3–85
करेन्ट	1,01,688.00	5,42,664.00
फिक्स्ड	--	41,900.00
सिक्यूरिटीज	2,100.00	2,000.00
	1,03,788.00	5,85,664.00

4. इस प्रकार इस वर्ष दरगाह शरीफ की आय में शुद्ध वृद्धि रु० 3,80,707/-- की रही। वास्तव में पिछले 3 वर्षों में काफी प्रचार व प्रयत्न किये जाने के कारण दरगाह की आय में काफी वृद्धि हुई है जो निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट है :—

कुल आय पिछले तीन वर्षों की		
1981–82		
9,98,940.00		
1982–83	1983–84	1984–85
11,99,947.00	13,97,586.00	18,06,391.00

आय की बढ़ोतरी के साथ साथ खर्चों में भी वृद्धि हुई है। विशेष तौर पर सम्पत्तियों की मरम्मत, स्टाफ के वेतन तथा चिकित्सा तथा लोगों की भलाई के कार्यक्रमों में भी अत्यधिक खर्चा किया गया। गत वर्ष जिन मदों पर विशेष रूप से खर्चा किया गया, उसका विवरण निम्न प्रकार है :—

	रु०
(1) स्टाफ का वेतन	3,51,132.00
(2) नकद चिकित्सा राशि को सहायता	2,500.00
(3) गरीब व बेवा स्त्रियों की सहायता	32,730.00
(4) प्रतिदिन तथा रमजान पर लंगर पर किया गया व्यय	72,179.00
(5) सम्पत्तियों पर किया गया उनकी मरम्मत पर व्यय	1,30,229.00
(6) इदगाह तथा मस्जिदों की मरम्मत पर किया गया व्यय	19,851.00
(7) सामियाना की खरीद पर किया गया व्यय	1,921.00
(8) दारूल उलम टेक्नीकल तथा मेडीकल में शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति	5,261.00

5. प्रतिदिन किये जाने वाले व्यय अर्थात् चन्दन, फूल, मोमबत्ती इत्यादि जो आस्ताने शरीफ के लिये क्रय की जाती रही है, उनमें तथा बिजली-पानी व स्टाफ के वेतन, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति, गरीबों को सहायता व प्रतिदिन बाँटे जाने वाले लंगर पर भी नियमित व सन्तोषजनक रूप से व्यय किया जाता रहा है।

वार्षिक उर्स मुबारक हजरत ख्वाजा गरीब नवाज

6. उर्स मुबारक हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक रजब 1404 तदनुसार 4 अप्रैल, 1984 को प्रारम्भ हुआ। और 9 रजब तदनुसार 12 अप्रैल, 1984 को समाप्त हुआ इस शुभ अवसर पर यात्रिगणों की संख्या लगभग ढाई लाख रही। कुल 6 रजब तदनुसार 9 अप्रैल, 1984 को सम्पन्न हुआ।

7. इस अवसर पर समस्त कार्यवाही निर्धारित तौर पर समस्त रीति रिवाज का अनुसरण करते हुए सम्पन्न की गई और सब कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ ।

8. इस अवसर पर साधारण प्रबन्ध विशेष तौर पर पुलिस, पानी की सप्लाई, सफाई इत्यादि सुचारू रूप से हुई और उर्स के समय में कोई परेशानी महसूस नहीं हुई।

9. दरगाह प्रशासन की विशेषता उर्स के समय सफाई का उच्च स्तर लगातार पानी व बिजली की सप्लाई दरगाह के अन्दर तथा गेस्ट हाउस में किया जाता रहा। साधारण तौर पर जो पानी की सप्लाई की जाती रही, उसके साथ दरगाह के वाटर वर्क्स से भी पानी सप्लाई की गई।

10. बिजली की सप्लाई बन्द होने पर दरगाह द्वारा लगाया गया 10 किलो वाल्ट जनरेटर द्वारा बिजली की सप्लाई चालू रखी गई और इससे गुम्बद शरीफ, मस्जिद, दरवाजे तथा अन्य विशेष स्थानों पर बिजली का प्रबन्ध किया गया।

11. आल इंडिया स्काउट्स, भारत स्काउट्स तथा गाईड्स, और स्थानीय स्काउटस ने भी काफी लगन व चुस्ती से अपना कार्य इस अवसर पर किया। बुलन्द दरवाजे पर एक पूछताछ कार्यालय स्थापित किया गया जिसने रात दिन लोगों को सूचना प्रदान की । स्काउट्स द्वारा खोये हुए बच्चों को उनके माता पिता के पास पहुंचाने का तथा यात्रियों को अन्य तरीकों से मदद करने का कार्य भी सुचारू रूप से किया गया।

12. आना सागर पर दरगाह प्रशासन द्वारा एक स्काउट कैम्प स्थापित किया गया जिसके द्वारा लाउड-स्पीकर की सुविधा से लोगों की मदद की गई । स्काउट्स ने यात्रियों को लाउड-स्पीकर द्वारा आवश्यक सूचनायें तथा अन्य घोषणायें तथा उस क्षेत्र के लिये गश्त इत्यादि भी कराई। ऐसा कार्य पिछले तीन वर्षों से किया जा रहा है। इस कार्य से यात्रियों को जेब-कटों से बचाया गया तथा हर प्रकार की चोरियों से भी सुरक्षित रखा गया। यात्रियों द्वारा आना सागर में स्नान करते समय उनका व्यक्तिगत सामान गायब होना रहा, उसे इस प्रकार के प्रबन्ध से बचाया जा सका।

13. दरगाह शरीफ़ के अन्दर चिकित्सा प्रबन्ध बहुत ही उत्तम था। यूनानी, अलोपैथिक और एक होमोपैथिक चिकित्सा सुविधा रात दिन यात्रियों को उपलब्ध रही। 19,500 मरीजों को मुफ्त दरगाह प्रशासन द्वारा चिकित्सा सुविधायें, दवायें बांट कर प्रदान की गई।

14. जेबकतों के बहुत कम केसेज हुए और जो थोड़े बहुत केसेज हुए वह गुम्बद शरीफ में हुए।

15. वोलिन्टियर्स दरगाह के कर्मचारियों तथा पुलिस की मदद से भिखारियों द्वारा दरगाह शरीफ व अन्य प्रमुख गेटों पर जो परेशानियां उत्पन्न की जाती थी, वह काफी कम रही।

16. जिला प्रशासन तथा रेलवे प्रशासन का सहयोग इस अवसर पर सन्तोषजनक रहा।

17. इस प्रकार खुदा के आशीर्वाद से उर्स का कार्य संतोषपूर्वक सन्तोषजनक तरीके से सम्पन्न हो गया।

18. विशिष्ट व्यक्तियों के नाम जो दरगाह में पधारे :

(1) महामहीम श्री ओ० पी० मेहरा, राज्यपाल, राजस्थान।

(2) श्री हारून रशीद, वाईस चेयरमैन, बिहार राज्य धार्मिक और भाषा विज्ञान अल्पमत आयोग, बिहार।

(3) श्री अब्दुल मुहीब मजूमदार, मंत्री पावर तथा ज्यूडिशियल, आसाम।

(4) श्री गोपीनाथ दिक्षित, स्टेट मिनिस्टर पावर, उत्तर प्रदेश सरकार।

(5) श्री आरीफ मोहम्मद खान, यूनियन मिनिस्टर अनेर्जी ।

(6) श्री आर० के० कोल अध्यक्ष, राष्ट्रीय बैंक कृषि व ग्रामीण विकास, बोम्बे।

(7) माननीय मि० जस्टिस एस० सी० मुकर्जी, जज उच्चतम न्यायालय।

(8) श्री सैदुल हसन, मंत्री हाउसिंग तथा मुस्लिम वक्फ, उत्तर प्रदेश।

(9) श्रीमान रहीम खान, मंत्री सिंचाई, शक्ति, मछली तथा वक्फ, हरियाणा।

(10) श्री ज्ञानी सुजान सिंह, सदस्य अल्पसंख्यक आयोग भारत सरकार।

(11) पाकिस्तान के चार सदस्य कृषि प्राइजेज कमीशन।

(12) महामहीम श्री ए० आर० किदवाई, राज्यपाल बिहार।

(13) श्री एस० ए० जब्बार, मंत्री ग्रामीण विकास तथा श्रम, जम्मू एण्ड कश्मीर।

(14) श्री महमूद भाई मुरती, राज्य मंत्री यातायात तथा बन्दरगाह, गुजरात।

(15) श्री ए० एम० मजूमदार, मंत्री पावर एण्ड ज्यूडिशियल, आसाम।

(16) श्री आरीफ अली अध्यक्ष तथा डा० चौधरी सदस्य आसाम।

आडिट आफ अकाउन्ट्स

19. दरगाह के हिसाबात 1984-85 का ओडिट अकाउन्टेन्ट जनरल राजस्थान के द्वारा सम्पन्न कराया गया। उक्त हिसाबात सही तरीके से रखा जाता है और ओडिट रिपोर्ट 1983–84 की अनेक्सचर-अ संलग्न है । इसमें बताई हुई कमियों की पूर्ति ठीक करा दी गई है।

दरगाह की रस्म-रिवाज

20. सालाना उर्स के मौके पर महफिल हजरत ख्वाजा उस्मान हारुनी छठी शरीफ पर महफिल तथा अन्य जुमेरातों

की महफिल का प्रबन्ध ठीक प्रकार से किया गया। हजरत इमाम हुसैन कुल्कास रशीदीन "गैरत" मोहर्रम शरीफ ईद मिलादुन नबी इत्यादि अन्य मौकों को निर्धारित रस्म रिवाज के साथ सम्पन्न कराया गया।

21. मोहर्रम पांचवीं पर अर्थात 1–10–84 को चिल्ला शरीफ हजरत बाबा फरीद शकर गुंज खोला गया और लगभग डेढ़ लाख यात्रियों ने इसके दर्शन किये। वार्षिक उर्स के अवसरों पर जो प्रबन्ध किया जाता है उसी प्रकार से इस मौके पर भी सारे प्रबन्ध किये गये।

22. सेन्ट्रल वक्फ काउन्सिल से गेस्ट हाउस के निर्माण के लिये ऋण

सेन्ट्रल वक्फ काउन्सिल द्वारा 5 लाख रुपये का ऋण दिनांक 29–11–84 को नया गेस्ट हाउस बनाने के लिये प्राप्त हुआ।

जागीर की एन्यूटी

23. रु० 2,05,613.45 राजस्थान राज्य सरकार से एन्यूटी के रूप में प्राप्त हुये। रू० 42,590/- अभी भी माबदरा तथा हैदराबाद की एन्यूटी के अभी तक बकाया निकलते हैं।

यूनानी सफाखाना

24. यह सफाखाना गरीब और जरूरत मन्द लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान कर रही है। इस सफाखाना की रु० 14,952/- मुफ्त दवा बांटने पर तथा स्टाफ की तंख्वाह पर खर्चा किया गया। इस वर्ष इस दवा खाने में 37,409 मरीजों का इलाज किया गया।

होमोपैथिक डिसपेन्सरी

25. 25 अक्तूबर 1982 को दरगाह शरीफ परिसर में एक मुफ्त दवा देने के लिये होमोपैथिक डिसपेंसरी खोली गई, जो बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। इस वर्ष इस दवा खाने में 23,307 मरीजों का इलाज किया गया और 18,471 रुपये मरीजों को मुफ्त दवा देने तथा स्टाफ की तंख्वाह पर खर्चा किया गया।

दरगाह सम्पत्तियों का विकास तथा मरम्मत

26. 16 दिसम्बर, 1983 को एक चार मंजिला गेस्ट हाउस कम आफिस ब्लाक तथा नाजिम के निवास मय तहखाना निर्माण करने के लिये शिलान्यास किया गया। उक्त निर्माण कार्य बहुत तेजी से किया गया। आर-सी-सी व ईंटों का निर्माण कार्य तथा प्लास्टरिंग का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। और अब तक रु० 6,13,736/- उक्त निर्माण पर खर्च किया जा चुका है। दरगाह सम्पत्तियों की मरम्मत तथा दरगाह में पेंड़ लगाने का कार्य भी बड़े स्तर पर किया गया। इन कार्यों पर 19,851/- रू० व्यय किये गयें।

आर्थिक सहायता

27. निम्नलिखित मदों पर इस वर्ष सामाजिक व कल्याणकारी कार्यों पर खर्चा किया गया :—

(1) विधवाओं तथा जरूरतमन्द लोगों की सहायता	28,630.00
(2) छात्रवृत्ति	2,906.00
(3) नाजिया-ओ-ताफीन	10,065.00
(4) सदर-ओ-वारीद सहायता	6,395.00
(5) गोरे गरीबान-काबेरास्तान की दीवारें बनाने के लिये मदद	5,000.00
(6) शिक्षा संस्थानों को मदद	4,100.00
(7) छात्रों व अन्य को चिकित्सा की मदद	2,500.00
योग	59,596.00

दरगाह की मिटिंग।

28. इस वर्ष की निर्धारित चार मिटिंगों में से केवल दो मिटिंग अजमेर में सम्पन्न हुई तथा दो मिटिंग कोरम के अभाव में नहीं की जा सकी।

एडवाईजरी कमेटी की मिटिंग

29. इस वर्ष एडवाईजरी कमेटी की दो मिटिंग सम्पन्न हुई।

सज्जादानसीन दरगाह ख्वाजा साहब

30. दरगाह हजरत ख्वाजा साहब के अन्तरिम सज्जयान सीन के पद पर जनाब सैयद जनुल आबेद्दीन अली खां आसीन है

मुकदमें

31. निम्नलिखित विभिन्न न्यायालयों में 38 मुकदमें विचाराधीन हैं :—

(1) सर्वोच्च न्यायालय में एक "दरगाह कमेटी बनाम सैयद जनुल आबेद्दीन अली खां।

(2) उच्च न्यायालय राजस्थान में दो मुकदमें—दरगाह कमेटी बनाम हमीदा बानो और आमुमल तुर्कि बनाम दरगाह कमेटी।

(3) दीवानी व फौजदारी कैसेज 35 जो विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है।

उपरोक्त अधिकाँश केसेज दरगाह सम्पत्तियों से संबंधित है और कुछ केसेज 1971 से चले रहे हैं।

लंगर

32. दरगाह में बिना किसी भेदभाव के प्रतिदिन दो समय लंगर बाँटा जाता है। इस वर्ष लंगर का बजट

78,300/— रु० निर्धारित था वास्तविक खर्चा कुल 67,146/— हुआ। निम्न प्रकार से अन्न वितरित पका हुआ अन्न बाँटा गया:—

(1) जौ	190.68 क्विंटल
(2) गेहूं	78.99 क्विंटल

33. प्रतिदिन लंगर के अतिरिक्त रमजान के अवसर पर लगभग 300 गरीब व्यक्तियों को खाना बाँटा गया उनको प्रतिदिन दो समय खाना दिया गया। इफ्तरी मिठाई लगभग 30 मुस्लिम कैदियों को प्रतिदिन भेजी जाती थी। इस प्रकार रमजान के अवसर पर खाने पर कुल 8,390.00 रु० खर्च किये गये।

34. पिछले तीन वर्षों में काफी प्रयत्न व प्रचार करने के कारण दरगाह की आय में बहुत बढ़ोतरी हुई है। इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में जिन मदों पर बढ़ोतरी हुई है, उनका विवरण तथा बढ़ी हुई आय की राशियाँ निम्न प्रकार है :—

(1) किराये की आय में वृद्धि	16,980.00
(2) लाइसेन्स फीस में वृद्धि	5,000.00
(3) दान में वृद्धि	2,36,379.00

दरगाह के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि :

35. दरगाह स्टाफ का वेतन सन् 1983 में संशोधित किया गया था। इस वर्ष अतिरिक्त मंहगाई भत्ता दो दफा दरगाह कर्मचारियों को दिया गया। इस प्रकार अतिरिक्त भत्ता दिये जाने के कारण दरगाह को रु० 37,000/— का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ा।

दारूल उलूम मोनिया उसमानिया दरगाह शरीफ

36. दारूल उलूम में उन्नति होना प्रारम्भ हो गया है। 26 मार्च, 1985 को 5 आलिम और एक हाफिज की दस्तार बन्दी सर्व प्रथम देश के विभाजन के बाद दी गई। इस वर्ष का सबसे अधिक उन्नति का कार्य दारूल उल्मा मोनिया उस्मानिया का पुनः जाग्रत होना है। 17 विद्यार्थियों के लिये रहने व खाने का पूरा प्रबन्ध किया गया। नियमित रूप से चलाई जा रही कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 13,346 तथा 2355/— रु० की राशि क्रमशः खाने तथा रहने तथा छात्रवृत्तियाँ देने पर की गई। विद्यार्थियों की संख्या निम्न प्रकार रही:—

(1) दर्से निजामी	12
(2) हाफिज/कीरत	19
(3) आलिम्स	6
(4) तहतानी	49

उपसंहार :

1984-85 का वर्ष दरगाह के हर क्षेत्र में विकास उन्नति का वर्ष रहा। दरगाह सम्पत्तियों की मरम्मत व उनके विकास किया जाना इस वर्ष का मुख्य कार्य था। इस मद पर रु० 7,58,837/— खर्चा किया गया। दरगाह की आय में भी रू० 3,80,707.00 की वृद्धि हुई। दरगाह प्रबन्ध की हर संस्थायें व हर विभाग विशेष रूप से दारूल उल्मा मोनिया उस्मानिया में काफी उन्नति हुई। दरगाह की आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ रही। नियमित रूप से जो भी देनदारी थी, उसका भुगतान किया जाता रहा। दरगाह का सामान्य प्रशयन भी सन्तोषजनक रहा।

ब्रिगेडियर एम० ए० खान रिटा०
नाजिम
दरगाह ख्वाजा साहेब, अजमेर

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi, the 12th May 1986

No. 28-RC(4)|14|86.—In pursuance of Regulation 136(1) of the Chartered Accountants Regulations, 1964, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a branch of the Central India Regional Council at Meerut with effect fron 21st December, 1985.

The Branch shall be known as Meerut Branch of the Central India Regional Council.

As prescribed under Regulation 136(3), the branch shall function subject to the control, supervision and direction of the Council through the Regional Council and shall carry out such directions as may from time to time be issued by the Council.

R. L. CHOPRA
Secretary

2—79 GI/86

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

KARNATAKA

No. 53, V. 34,13,886,Bfts-II.—In modification of the Notification No. 53 V.34.13.6.83. Coord in Part-III Section-4 dated 11th February, 1984, the following name is added as against serial No. 4(1) under Regulation-10-A(1)(d) of the E.S.I. (General) Regulations, 1950 in place of Sri Raghava Vattasar, Manager, Chigateri Mills, Davangere.

UNDER REGULATION-10A(1)(d)

Sri M. S. RAVIESH,

Labour Welfare Officer,

Yellamma Cotton Wollen Silk Mills,

DAVANGERE.

MEMBER

No. 53.V.34.13.8.86.Bfts-II.—In continuation of the Notification No. 53.V.34.13.7.85Bfts-II in part III Section-4 of the Gazette of India dated 15th February 1986, the following names have been added under Regulation-10A(1)(d) and 10A(1)(e) of the E.S.I. (General) Regulations, 1950 as additional members.

UNDER REGULATION 10A(1)(d)

Member

1. Sri A. Thangavelu,
   Accounts Officer,
   K.E.B.,
   K.G.F.

UNDER REGULATION 10A(1)(e)

Member

1. Shri A. Srinivasu,
   B—560—05942,
   Treasurer,
   B.E.M.E.A.
   K.G.F.

By Order
B. C. BHARADWAJ
Regional Director Incharge

THE INSTITUTE OF COST AND WORKS ACCOUNTANTS OF INDIA

Calcutta, the 19th March 1986

No. 18-CWR(124)/86.—It is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Cost and Work Accountants Regulations 1959, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Cost and Work Accountants of India has restored to the Register of Members the name of Shri Asit Kumar Saha, BSC(Hons), AICWA, 16, East Road, Jadhavpur, Calcutta-700 032, (Membership No. M|4049), with effect from 4th March 1986.

The 20th March 1986

No. 11-CWR(99)/86.—In pursuance of sub-regulation (3) of Regulation 11 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that the Certificate of Practice granted to Shri Sarit Kumar Roy, MCOM, AICWA, 95|14, Bose Pukar Road, Bank Plot, Calcutta-700 042 (Membership No., M|4351), shall stand cancelled with effect from 17th March 1986.

The 31st March 1986

No. 16-CWR(640)/86.—In pursuance of Regulation 16 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has removed from the Register of Members, at his own request, the name of Shri M. Venkata Ramayya, BA(HONS), AICWA, 2529, Sector VI, C.G.S. Quarters, Antop Hull, Bombay-400 037, (Member-No. M|1900), with effect from 31st March 1986.

No. 16-CWR(641)/86.—In pursuance of Regulation 16 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that in exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 20 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has deleted from the Register of Members, on account of death, the name of Shri Madan Mohan Mukherjee, MA, AICWA, 11|1, Dharmadas Kundu Lane, Shibpur, Howrah-711102, (Membership No. M|62), with effect from 15th March 1986.

The 17th April 1986

No. 18-CWR(125)/86.—It is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Cost and Works Accountants Regulations 1959, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Cost and Work's Accountants of India has restored to the Register of Members the name of Shri M. C. Sharma, M. Com., LLB, AICWA, 1-Gha-1, Sector 11, Hiran Magri, Udaipur—313 001, Rajasthan, (Membership No. M|4227), with effect from 1st April 1986.

No. 16-CWR(642)/86.—In pursuance of Regulation 16 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that in exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 20 of the Cost and Works Accountants of India has deleted from the Register of Members, on account of death, the name of Shri Ayalur Sivaramakrishna Krishnan, B. Com, ACA, AICWA, Chief Works Accountant, Mahindra Ugine Steel Co. Ltd., Khopoli-410203, (Membership No. M|691), with effect from 23rd January 1986.

The 24th April 1986

No. 18-CWR-(126)/86.—It is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Cost and Works Accountants Regulations 1959, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has restored to the Register of Members the name of Shri Haru Nath Ray, BE(Mech), MBA, ACS, AICWA, E-198, Sector II, Dhurwa, Ranchi-834 004, (Membership No. M/3219) with effect from 8th April 1986.

The 25th April 1986

No. 16-CWR(643)/86.—In pursuance of Regulation 16 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that in exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 20 of the Cost and works Accountants Act, 1959, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has removed from the Register of Members, at his own request, the name of Shri Surendra Prasad, AICWA, Asst. Manager (Finance), Accounts Dept., Tata Engineering & Locomotive Co. Ltd., Jamshedpur-831 010, (Membership No. M/290), with effect from 1st April 1986.

D. C. BHATTACHARYYA
Secretary

NATIONAL COOPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION

The 7th May 1986

No. NCDC/A&C/8-13/83-CPF.—In exercise of the powers conferred by Section 23(1) of NCDC Act, 1962 read with Regulation 29 of the National Cooperative Development Corporation Employees' Provident Fund Regulations, 1964, the National Cooperative Development Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following amendments to the National Cooperative Development Corporation Employees Provident Fund Regulations 1964. namely .—

1. Substitute the following for the existing sub-regulation (J) of regulations 2 :—

"J" "Pay includes substantive pay, personal pay, acting allowance, dearness allowance (including dearness pay) interim relief and pension in case of re-employed persons where pay is reduced by the amount of pension; but does not include house rent allowance, transfer allowance, travelling allowance, halting allowance or any other allowance."

Explanation : The element of pension by which pay is actually reduced should only be included in 'PAY' for the purpose of above regulation.

The amendment shall come into force with effect from 1-6-1983.

R. V. GUPTA, Managing Director.

NCR PLANNING BOARD

New Delhi, the 3rd March 1986

No. C.11031/1/86-NCRPB.—In exercise of the powers conferred by Section 37 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 the Board hereby makes, with the previous approval of the Central Government, the following regulations :—

1. *Short title and commencement* :

(i) These regulations may be called the National Capital Region Planning Board Regulations, 1986.

(ii) These shall become operative from the date on which the Board came into existence.

2. *Definition* :

In these regulations unless the context otherwise requires :

(i) 'Act' means the National Capital Region Planning Board Act, 1985.

(ii) 'Board' means the National Capital Region Planning Board as constituted under Section 3 of the Act.

3. *Salaries & allowances of officers and employees* :

The pay and all other allowances except House Rent Allowance of officers and employees of the Board shall be the same as those prescribed by the Central Government for its ployees of similar status.

4. *Grant of leave* :

In the matter of grant of leave the officers and employees of the Board shall be governed by the entral Civil Service (Leave) Rules, 1972 as applicable to the employees of the Central Government and orders issued by the Central Government thereunder from time to time.

5. *House Rent Allowance* :

The officers and employees of the Board at Delhi shall be entitled to twenty per cent (20%) of their pay as House Rent Allowance. Other conditions for the House Rent Allowance shall be the same as are applicable to the Central Government servants.

6. *Pension, gratuity, retirement benefits and general provident fund* .:

The officers and employees of the Board shall be entitled to pension, gratuity, other retirement benefits and general provident fund, at such rates and under such conditions as are applicable to officers and employees of the Central Government in the corresponding grades.

7. *Other conditions of services* :

Unless expressly provided for in these regulations to the contrary, the other terms and conditions of service of the officers and employees of the Board shall be governed, as far as may be, by the Fundamental and Supplementary Rules, General Financial Rules, Central Civil Service (Temporary Service) Rules, 1965, Central Civil Services (Medical Attendance) Rules. 1944, Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980. etc., and by orders and decisions issued by the Central Government under those rules from time to time as applicable to the employees of the Central Government.

8. *Conduct Rules* :

The Central Civil Service Conduct Rules, 1955 as amended from time to time, will be applicable to the employees of the Board.

9. *Disciplinary proceedings* :

The entral Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 as amended from time to time shall apply in relation to the employees of the Board as they apply in relation to the employees of the Government. Powers under these rules vested in the President shall be exercised by the Chairman and those of Head of Department by the Member Secretary.

10. *Deputationists* :

The officers and employees of the Board who are working in the Board on deputation from the Central or the State Governments or from the local, development or other statutory authorities or undertakings of the Central or State Governments shall be governed by those terms and conditions which are specified in the order of deputation by the loaning authority. With respect to other terms and conditions which are not specified in the order, they will be governed by the above regulations applicable to the employees of the Board.

M. SHANKAR, Member Secy.

AUDIT REPORT ON DARGAH KHAWAJA SAHIB, AJMER FOR 1984-85

INTRODUCTORY :—

For proper administration of Dargah and Endowment of the Khwaja Moinuddin Chishti popularly known as Dargah Khawaja Sahib, Ajmer, the Dargah Khawaja Sahib Act was passed by the Parliament in 1955. As per provisions of the said Act, the Dargah Endowment includes :—

(a) The Dargah Khwaja Sahib, Ajmer.

(b) All buildings and Movable property within boundaries of Dargah Sharif.

(c) Dargah Jagir including all land, houses and shopes and all immovable property wherever situated belonging to the Dargah Shariff.

(d) All other property and all income derived from any source whatever dedicated to the Dargah or placed for any religious, pious or charitable purposes under the Dargah Administration including the Jagirdari villages of Hokram and Kishanpura in Ajmer.

(e) All such bazars of offerings as are received on behalf of the Dargah by the Nazim or any other person authorised by him.

The administration, control and management of the Dargah Endowment is vested in a Committee named as 'Dargah Committee Ajmer'. The Committee is to consist of not less than five and not more than nine members, all of whom shall be Hanafi Muslims and shall be appointed by the Central Government. The Committee exercises its functions through a Nazim appointed by the Central Government in consultation with ithe Committee. The Nazim is the Chief Executive Officer of the Dargah Administration and also as a Secretary to the Committee.

Under Section 19(i) of the Act ibid the accounts of Dargah are requested to be audited every year by such persons and in such a manner as the Central Government may direct. Sub-Section (2) of the said Act envisages that the Committee shall every year prepare a report on the administration of the Dargah which together with the accounts and the report of the auditor thereon, shall be published in the Official Gazettee. The Dargah Administration is preparing only a statement of receipts and expenditure. No balance Sheet is prepared and as such, assets and liabilities at the end of the accounting period are not ascertainable from the accounts.

The audit of the Dargah was initially entrusted to the Comptroller and Auditor General of India on consent basis.

From the accounts of the year 1978-79 the audit has been brought under the provisions of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

2. *Receipt and expenditure account for* 1984-85 *Analysis of receipts and expenditure.*

The opening balance was Rs. 1.04 lakhs (including securities of Rs. 0.02 lakh) at the beginning of the year. The total receipts during the year amounted to Rs. 23.06 lakhs (including Rs. 5.51 lakhs on account of donation and loan for construction of Guest House and construction of toilets). After meeting the total expenditure of Rs. 18.65 lakhs (including Rs. 6.30 lakhs on the construction of office Blocks cu-Guest Houses, staff quarters at Asha Ganj and pay of Site Engineer etc.), there is a closing balance of Rs. 5.86 lakhs at the end of the year, out of which Rs. 0.43 lakh stand invested in securities.

3. *Defects in the Register of Movable Properties.*

According to Bye-Law 21 of the Dargah Khawaja Sahib Bye-Law 1958, a book detailing all immovable properties and a book containing a list of movable properties of the Dargah are required to be maintained. The deficiencies noticed in audit are mentioned below :—

Movable Properties

Articles under Gumbad Sharif and in Main and Subsidiary Toshakhana.

There are many costly items of gold, silver, and precious stones in the Gumbad Sharif but inventory of all these items had not been prepaired so far (October 1985).

The main Toshakhana also consists costly articles made of gold and silver. There are seven locks of different Khadims (Hafth Cowki Baridaran) on the Toshakhana. The keys of the locker with Sarganas of the Hafth Chowki Baridaran who were not available at one and the same time. Some time in the year 1929 an attempt was made by the Dargah Administration to open the Toshakhana and to prepare the inventory but without success. In April 1966, however, the administration got the Toshakhana opened and prepared a list of 206 items but the work could not be completed, reportedly, due to non-cooperation of the Khadims. Another Subsidiary Toshakhana consists of costly Gilafs (Tom covers) silver and gold articles etc. Even through the Toshakhana is opened almost daily for change of Gilaf on the main Tomb, no list of articles in the Subsidiary Toshakhana has been prepared so far (January 1986).

Non-preparation of inventory of articles under Gumbad Sharif and in main and Subsidiary Toshakhana has persistently been pointed out in the Audit Reports since 1979-80. The matter relating to preparation of list of Gumbad Sharif main Toshakhana and subsidiary Toshakhana was put up before the Dargah Committee in their meetings held in August 1982 and December 1982 but no final decision was taken, During August 1983 in a meeting it was decided in preparation of the inventory and valuation of the assets continued in Gumbad Sharif, main Toshakhana and Subsidiary Toshakhana and in case they do not respond legal action may be resorted to. As a result there of they all excepting one met at Ajmer 9th September 1983 and on 1st Dec. 1983 and discussed changes made in the silver katehra and thereafter postponed the meeting for some other suitable date The Nazim dated (February 1986) that matter would be discussed during the next dargah Committee meeting and thereafter action as per decision of the Dargah Committee will be taken.

Place : Jaipur

Date : March, 1986.

Sd/-
Accountant General (Audit)
Rajasthan Jaipur.

AUDIT CERTIFICATE

I have examined the receipt and Expenditure Account of Dargah Khawaja Sahib Ajmer for the year ending 31st March 1985. I have obtained all the information and explanations that I have required, and subject to the observation in the appended Audit Report, I certify, as a result of my audit, that in my opinion those accounts are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Dargah Khawaja Sahib, Ajmer according to the best of information and expenditure given to me and as shown by the books of the organisation.

Place : Jaipur.

Date : March 1986

Sd/-
Accountant General (Audit) Rajasthan, Jaipur.

ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT 1984-85

INTRODUCTION :

In the beginning of the year Dargah Committee consisted of the following members :

(a) Janab Ismail M Bawla, President.

(b) Janab Khawaja Hasan Sani Nizami, Vice President DKS.

(c) Janab Abdul Rahman Khan Nashter, Minister Uttar Pradesh.

(d) Janab Gulsher Armed M.P.

(e) Janab Ghulam Rasool Kar M.P.

(f) Janab Maulana MJA Matin.

(g) Janab Dr. Imtiyaz Ahmed Ex. M.P.

(h) Janab Maulana Mohd Mian Farooqui Ex M.P.

2. Janab Ismail M Bawla & Janab Khwaja Hasan Sani Nizami were elected President and Vice President respectively of the Dargah Committee for the year 1984-85.

FINANCIAL POSITION

The Financial position of the Dargah Committee for the year under report is as under :

	1983-84	1984-85
Balance as on		
Current . . .	2,67,766·00	1,01,688·00
Fixed deposit . .	—	—
Securities . . .	2,100·00	2,100·00
	2,69,866·00	1,03,788·00
Receipt during the year		
Revenue . .	13,74,753·00	17,55,460·00
Capital . . .	22,833·00	50,831·00
Loan	—	5,00,000·00
	13,97,586·00	23,06,291·00
Total including Balance	16,67,452·00	24,10,079·00
Expenditure during the year		
Revenue . . .	11,49,716·00	11,95,807·00
Capital . . .	4,13,948·00	6,28,688·00
	15,63,664·00	18,24,415·00
Balance	31-3-1984	31-3-1985
Current .	1,01,688·00	5,42,664·00
Fixed . . .	—	41,000·00
Securities .	2,100·00	2,000·00
	1,03,788·80	5,85,664·00

4. There has been a net increase of Rs. 380707/- in the over all income of the Dargah Sharif during the year under review. In fact there has been substantial increase in the income during the last 3 years due to concerted efforts and vide publicity as would be evident from the following statement :

Total Income during the Last 3 *Years*

1981-82	1982-83	1983-84	1984-850
9,98,940·00	11,99,947·00	13,97,586·00	18,06,391·00

Corresponding to the income the expenditure also increased in particular in connection with repairs of properties pay to staff medical and welfare activities. During the last year under review substantial amounts as under have been spent on some of the important items.

	Rs.
(a) Pay of Staff	3,51,132·00
(b) Medical aid in cash	2,500·00
(c) Aid to poor & stipened to widows	32,730·00
(d) Langer daily and Ramzan	72,179·00
(e) Repair of properties	1,30,229·00
(f) Repair of Idgah & Mosques	19,891·00
(g) Purchase of Shamianas	1,921·00
(h) Darul Uloom & Scholarship in Tech. and Medical Students	5,261.00

5. The recurring expenditure i.e. daily supply of flowers, Sandal Candles to Holy Shrine, payment of electricity & water charges, payment of salary to staff, scholarship to students, help to poor expenditure on daily langer etc have been made regularly and satisfactorily.

ANNUAL URS MUBARAK OF HAZARAT KHWAJA GHARIB NAWAZ (R.A.)

6. The Urs Mubarak Hazarat Khwaja Moinuddin Chisty (RA) started on 1 Rajab 1404 corresponding to 4th April 1984 and was over on the 9th Rajab corresponding to 12th April. The estimated attendance of Zaireen has been over 2.5 lakhs. The Qul was held on 6th Rajab corresponding to 9th April 1984.

7. All ceremonies and rituals were held as per traditions and procedure laid down and went off well.

8. All arrangements in particular police, Water supply, Hygiene, Sanitation and cleanliness were good and remained satisfactory through out the Urs.

9. Main features of Dargah Administration have been the high standard of cleanliness non stop supply of water and electricity inside Dargah, as well as Guest Houses. Normal water works supply was augmented by the Dargah water works.

10. The 10 KVA Generator of Dargarh went into action immediately in the event of the break down of electricity and supplied electricity to Gumbad Sharif, Mosques, Gates and other important places.

11. The services of All India Scouts, Bharat Scouts & Guides and Local Scouts were requisitioned who worked with great zeal and devotion. An enquiry point was established at Buland Darwaza and fuctioned round the clock. They helped to restore a number of lost children to their parents and guided the pilgrims in various ways.

12. At An Sagar Lake Dargah Administration established a Scout Camp with Loud Speaker facilities. The Scouts not only warned the pilgrims on make but also petrolled the area. This is being done since last 3 years only. This has helped in eliminating the pickpocketing and removal of personal belongings of those who took bath in Ana Sagar to a very great extent.

13. Medical cover inside Dargah was excellent, 3 Unani, 2 Allopathy and 1 Homoepathetic Dispensaries provided medical cover round the clock. Over 19,500 patients were treated free of cost within the Dargah premises.

14. There were quite a few pick pocketting cases. Most of the cases took place within the Gumbad Sharif.

15. The beggar mence within Dargah premises as well as on the gates was minimised by the help of Volunteers, Dargah Chaprasis and Police.

16. The cooperation from District Authorities. Railway authorities etc. has been satisfactory.

17. On the whole the Urs Sharif and Urs fair passed off peacefully and every thing went off well by the Grace of God.

18. *V. I. Ps*

(a) His Excellency Shri O. P. Mehra—Governor of Rajasthan.

(b) Shri Haroon Rashid, Vice Chairman Bihar State Religious and Linguistic Minorities Commission, Bihar.

(c) Shri Abdul Muhib Mazumdar, Minister for Power & Judicial Assam.

(d) Shri Qopinath Dixit, State Minister Power, Govt. of U. P.

(e) Shri Arif Mohd.Khan, Union Minister for Energy.

(f) Shri R. K. Kaul Chairman National Bank for Agriculture and Rural Development, Bombay.

(g) Hon'ble Mr. Justice S. G. Mukherjee, Judge Supreme Court.

(h) Shri Saidul Hassan Minister for Housing & Muslim Wakf U. P.

(i) Ch. Rahim Khan Minister for Irrigation, Power, Fisheries and Wakf, Haryana.

(j) Shri Gyani Sujan Singh Member Minorities Commission Govt. of India.

(k) Four members of the Pakistan Agricultural Prices Commission.

(l) His Excellency Shri A. R. Kidwai Governor of Bihar.

(m) Shri S. A. Zabbar Minister for Rural Development and Labour Jammu & Kashmir.

(n) Shri Mohmood Bhai Surti State Minister for Transport and ports, Gujarat.

(o) Shri A. M. Majumdar Minister for Power & Judicial Assam.

(q) Shri Arif Ali Chairman and Dr. Chaudhary Member Assam.

Audit of Accounts :

19. Audit of the Dargah Accounts for the year 1983-84 have been carried out by the Accountant General Rajasthan. The accounts are maintained properly. Audit report 1984-85 is attached as annexure "A". Its compliance has since been completed.

The rituals of Dargah :

20. The Mahafil of the Annual Urs Sharif of Hazarat Khwaja Moinuddin Chirsty (RA) the Mahafil of the Annual Urs Sharif of Hazarat Khwaja Usman Harooni (RA) and other Mahafils of Jumerat (Thursdays) and Chatti Sharif (Sixth of every Islamicmonth) were performed properly. The "Airas" of Kulfae Rashedin (RA) Hazarat Imam Hasan (RA) Muharram Sharif, Id-Miladun-Nabi etc and also the other airas of Buzurgan-e-din (R.A) were observed with serenity.

21. On 5th Muharram corresponding to 1-10-84 the Chilla Sharif of Hazarat Baba Fareed Shaker Gunj (RA) was opened and the number of persons visiting the same touched about 1.5 lakhs. All arrangements which were made at the time of Annual Urs Sharif of Hazarat Khwaja Saheb (RA) were made at this occasion also.

Loan from CWC for construction of Guest Houses :

22. Rs. 5,00,000/- loan from Central Wakf Council has been received on 29-11-84 for the construction of a new Guest House.

Annuity Jagirs :

23. An amount of Rs. 2, 5,613,45 has been received from Govt. of Rajasthan and others during the year—Rs. 42,590/- is still out standing. This pertains to Annuity Rajasthan, Sabdara and Cash Mamool of Hyderabad.

Unani Shafa Khana :

24. This Shafa Khana is providing medical cover to the poor and needy persons. A sum of Rs. 14,592/- has been spent on free supply of medicines and pay to the staff during the year. About 37,409 patients have been treated during the year under report.

Homoepatic Dispensary :

25. A free Homoe Dispensary was opened on 25th Oct. 1982 within the premises of Dargah Sharif which is functioning extremely well. During the period under review over

23307 patients have been treated. A sum of Rs. 18,471/- has been spent on providing free medicines to the patients and pay to the staff.

Development and repair of Dargah properties :

26. Foundation stone of 4 floor Guest House-cum-Office Blocks-cum [illegible] building basement was laid on Dec. 16, 1983. The construction work has been carried out with speed. [illegible] brick work including plastering has been completed. A sum of Rs. 6,13,735 has been spent on this [illegible] repairs of Dargah Properties including [illegible] of [illegible] in Iddgah has been done on big scale. A sum of Rs. 19,851/- has been spent.

Financial Aid :

27. The following [illegible] expenses on welfare and Social activities has been incurred during the year under report :—

Tech. and [illegible] Students .	,261 ·00
(a) Awarding aid to widows and needy	28,630 ·00
(b) Scholarship	2,[illegible]06 ·00
(c) Tajheeze [illegible]	10,065 ·00
(d) Aid to [illegible]	6,395 ·00
(e) Aid for the construction of boundary wall of [illegible] Qabrastan	5,000 ·00
(f) Aid to educational Institutions .	4,100 ·00
(g) Medical aid to [illegible] & others .	2,500 ·00
Total	59,596 ·00

Meeting of the Dargah Committee :

28. Of the four meetings scheduled during the year only two meetings could be held in Ajmer—Two meetings could not be held due to want of quorum.

Meetings of the Advisory Committee :

29. Two meetings have been held during the period under review.

Sajjadanashin Dargah Khwaja Saheb :

30. Janab Syed Zain [illegible] Abedin Ali Khan continued as Interim Sajjadanashin Dargah Hazarat Khwaja Saheb Ajmer as an Interim arrangement.

Litigation :

31. 38 court cases as given below are pending in various courts of Law :

(a) Supreme Court of India : One. D. C. V/S Syed Zainul Abedin Ali Khan Interim Sajjadanashin Dargah Khwaja Sahib Ajmer.

(b) High Court of [illegible] : Two cases : Dargah Committee [illegible] and Asumal Tale Ram V/S Dargah Committee.

(c) Civil Criminal Cases : Thirty five in different courts.

Most of these cases pertain to the Dargah properties. Some of these date back from the year 1971.

Langer :

32. Langer (Cooked food) has been distributed twice daily to all without any distinction. Budget expenditure for Langer Khana for the year under review was Rs. 78,300/-. The actual expenditure amounted to Rs. 67,146.00. The following quantity of food grains were supplied during the year.

(a) Barley 190.68 Quintals

(b) Wheat 78.99 Quintals

33. In addition to daily langer, special arrangements for distribution of food to over 500 poor during Ramzan were made. They were given two meals each day throughout the Ramzan. [illegible] for about 30 Muslim Rosedar prisoners were [illegible] daily. The total expenditure on Ramzan meals came to Rs. 8,39[illegible].00.

34. During the last 3 years there has been a substantial increase in the income of DKS due to concerted efforts and publicity. During the year under review the increase compared to last year has been as under :

(a) Increase in rental Income ....Rs. 16,980.00

(b) Increase in licence fee................Rs. 5,000.00

(c) Increase in donation ....Rs. 2,36,379.00

Increase in pay of Staff during the period :

35. The pay of Dargah Staff was revised in 1983. During the year under review additional DA was granted twice. The additional DA to the Staff cost the Dargah Exchaquer a sum of Rs. 37,000/-.

Darul Uloom Moinia Usmania Dargah Sharif :

36. The Darul Uloom by the Grace of God has taken some shape now Dastar Bandi of 5 Alims and one Hafiz has been done on 26th March 1985 for the first time after partition. The revival and restablishment of the Darul Uloom Moinia Usmania which had a golden past has been the major achievement of the year. Full fladged lodging and boarding arrangements for 17 students was made. Number of students increased and classes were run regularly. A sum of Rs. 133[illegible] & Rs. 2555/- have been spent on Boarding, Lodging and award of stipend respectively. Number of students during the year under review has been as under :

(a) Darse Nizami....................	12
(b) Hafiz/Qirat......................	19
(c) Alims............................	6
(d) Tahtani..........................	49

CONCLUSION

The year 1984-85 has been a year of achievements and all round improvement in the administration. Development and repair of properties has been major task. A sum of Rs. 7,58,857/- has been spent on this. There has been substantial increase amounting to Rs. 5,80,707.00 in our income. All institutions of the Dargah Administration functioned effectively, particularly Darul Uloom Moinia Usmania which got a new lease of life after concerted efforts of the last 3 years and achieved the distinction of first Dastar Nandi after 1947. The finances of Dargah remained very satisfactory All liabilities were cleared regularly. General tone of the Dargah Administration remained very satisfactory.

BRIGADIER M. A KHAN RETD.
Nazim
Dargah Khwaja Saheb Ajmer

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI, 1986

कामठी छावनी

कामठी छावनी के चुंगी सीमाओं को दर्शाने वाला नक्शा :-